

मिसल वास्ते इन्तजात मौका रिपोर्ट दिनांक  
23-04-18 को पेश हो।


पत्रावली पेश। वक़ील उमर अफ़्जल उर्फ मिसल वास्ते  
इन्तजात मौका रिपोर्ट दिनांक 30-04-18 को पेश हो।


पत्रावली पेश। अफ़्जल उर्फ इमरा कार्र ख़ासिग़त  
मिसल वास्ते इन्तजात मौका रिपोर्ट दिनांक  
02-02-18 को पेश हो।

पत्रावली पेश। वकील P-I उपाध्यायी वकील P-II

सत्यमेव जयते कथन किया कि P-I की ओर से तत्समय प्रकरण  
दुरुस्त करवाया गया था। परन्तु वर्तमान में P-I व  
P-II के मध्य प्रकरण से सम्बन्धित कृषि भूमि  
को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रश्नगत भूमि के  
खारे में SHO इचवा ख़ारा एवं तहसीलदार बुरुकी  
ओर से पेश मौका रिपोर्टों का अवलोकन फ़र्मावे।  
जिनमें अंकित है कि उक्त जमीन का रेवेन्यू मुद्रण  
का फ़ैसला P-II के पक्ष में हो चुका है। इसलिये इस  
प्रकरण में हम आगे कार्यवाही नहीं चलायाना चाहते।  
पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने की कोई आवश्यकता नहीं  
है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे।  
पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं SHO इचवा ख़ारा  
की ओर से दिनांक 15-07-10 एवं तहसीलदार बुरुकी  
ओर से दिनांक 16-03-11 को पेश मौका रिपोर्ट, फ़र्द मौका,  
बयान शर्की एवं जमावड़ी का ध्यान रक्व अवलोकन  
किया गया जिससे वकील शर्की संग का कथन उचित प्रतीत  
होता है। वकील P-I जिनकी ओर से यह प्रकरण पेश किया  
गया है, भी आगे कार्यवाही नहीं चलायाना चाहते हैं तथा मौका  
रिपोर्टों से भी यही स्पष्ट होता है कि वर्तमान में कोई विवाद  
नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। मिसल  
फ़ैसल मुफ़्त होना नभका से कम हो। जोधरा का खिल दफ़्ता हो।

प्रकरण में आगे  
कोई कार्यवाही नहीं  
चाहते हैं।

  
2-2-18

  
2-2-18

साक्ष्य  
P-I

P-I



Web Copy - Not Official